भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2833

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

गरीबों को मुफ्त राशन

2833. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उन गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दे रही है जो इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान गरीबों को वितरित किए गए मुफ्त राशन की मात्रा सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश का खाद्यान्न उत्पादन इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हाँ, तो विगत दस वर्षों के दौरान मुफ्त राशन सुविधाओं पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है, जो 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवर करती है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। पीएमजीकेएवाई के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले।

वर्तमान में, 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लक्षित कवरेज की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 80.56 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है।

...2/-

(ख): पिछले पाँच वर्षों में वितरित खाद्यान्न की मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	**वितरित मात्रा (टन में)**
2021	4,42,83,988
2022	4,89,79,847
2023	4,90,36,431
2024	5,00,71,936
2025*	3,03,42,719

*31.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार

(ग): पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

(घ): वर्ष 2014-15 से जारी की गई खाद्य सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

*****

अनुबंध

"गरीबों को निःशुल्क राशन" के संबंध में दिनांक 06.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2833 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014-15 से जारी की गई खाद्य सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**जारी की गई कुल सब्सिडी**
1	2014-15	113171.16
2	2015-16	134919.00
3	2016-17	130672.96
4	2017-18	139981.69
5	2018-19	171127.49
6	2019-20	152672.35
7	2020-21	541126.77
8	2021-22	288718.54
9	2022-23	272501.70
10	2023-24	211393.85
11	2024-25	199500.00
12	2025-26*	53404.99

*-29 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार

*****